

**मुख्य अभियंता-2, (गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार ।**

पत्रांक- मु0अ0-2/निविदा-09-29/25 - 804

पटना, दिनांक- 23.05.25

प्रेषक,

ई0 अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया ।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या-RRSMP/24-25-Rajauli/05 (टेन्डर आईडी0-139140) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निमाण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-791/2025 पार्ट-1-1869 अनु0 पटना, दिनांक-22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या- RRSMP/24-25-Rajauli/05 (टेन्डर आईडी0-139140) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निमाण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Sanjay Kumar (Bid ID-609513) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -1.99 (एक दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 21,43,93,602 (इक्कीस करोड़ तैंतालीस लाख तिरानवे हजार छः सौ दो) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-791/2025 पार्ट-1-1869 अनु0 पटना, दिनांक-22.05.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये राशि एवं एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं

✓

विश्वामाजिन

अनु-यथावत।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
28. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अओएम-03-21/2021-489 अनु- करे।
27. विभागीय पत्रांक मुओएम-2/निविदा-05-208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।
26. इनके कामजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर पत्र-संयत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी। अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के कम में यदि पत्र-संयत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।
25. निविदा में पत्र-संयत्र एवं अभियंतों के संबंध में दिए गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे। कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुक्रम इसका प्रतिवेदन अधीक्षक की समिति करें।
24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करें।
23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वरक्षकस्थित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
21. आलोक में अतिरिक्त बांछित परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।
20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के (मोबाइल नंबर) एवं ईमेल आईडी0 कार्यादेश में अंकित करें तथा इस कार्यालय को सूचित करें।
19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना पुरान इस कार्यालय को दी जाय।
18. एकरारनामा से पहले निविदाता द्वारा दिये गये कामजात का सत्यापन उनके मूल कामजात से मिलान कर स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कराना आवश्यक होगा।
16. यदि सकल निविदादाला विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन इस कार्य का वय रीफ 4515 MGSUY (RRSMP) से विकलित होगा।
15. सुनिश्चित करेंगे अथवा उनके अग्रधन की राशि जब कर दी जाय।
14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना अनुक्रम निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।
13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विविधियों के विरुद्ध मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।
11. कार्यालय के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्चर्य हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राथमिक स्वीकृति के

**मुख्य अभियंता-2, (गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार ।**

पत्रांक—मु0अ0-2/निविदा-09-29/25

पटना, दिनांक—

प्रेषक,

ई0 अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया ।

विषय:—ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या—RRSMP/24-25-Rajauli/05 (टेन्डर आई0डी0-139140) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:—विभागीय पत्रांक—मु0अ0 (अ0उ0)—4515-01-791/2025 पार्ट-1-1869 अनु0 पटना, दिनांक—
22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या— RRSMP/24-25-Rajauli/05 (टेन्डर आई0डी0-139140) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Sanjay Kumar (Bid ID-609513) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -1.99 (एक दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 21,43,93,602 (इक्कीस करोड़ तैंतालीस लाख तिरानवे हजार छः सौ दो) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक—मु0अ0 (अ0उ0)—4515-01-791/2025 पार्ट-1-1869 अनु0 पटना, दिनांक—22.05.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये राशि एवं एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली को संचनाथ एवं

खापाक:- 804
पटना, दिनांक-23.05.25
मुख्य अभियंता-2 (गया)

₹0/-

विश्वनाथसमान

अनु-संख्या।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का

दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

28. सर्वेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/31050-03-21/2021-489 अनु-0

करेंगे।

27. विभागीय पत्रांक मु0310-2/निविदा-05-208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित

जायेगी तो नियमानुसार सर्वेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

कराये। अथोहरस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी

26. इनके कानूनी जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित

निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंतार्यों के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले

25. होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुक्रम

इसका प्रतिवेदन अथोहरस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे।

द्वारा कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

23. प्रत्येक 15 दिनों पर सर्वेदक से स्वरस्ताक्षरित विवरण प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुष्टिका में मापी

22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

आलोक में अतिरिक्त बांछित परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

21. परिमाण विवरण की दर से कम दर उद्धृत करने वाले सर्वेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के

(मार्गदर्शन नम्बर) एवं ईमेल आईडी010 कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

20. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व सर्वेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या

19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

ली जाय।

18. एकरारनामा से पहले निविदा द्वारा दिये गये कानूनी का सत्यापन उनके मूल कानूनी से मिलान कर

स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।

17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत

कराना आवश्यक होगा।

16. यदि सकल निविदादाला विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन

15. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMSV (RRSM) से विकसित होगा।

सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जमा कर ली जाय।

14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये सर्वेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना

अनुरूप निधारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के

विरुद्ध मदवार कार्य प्रमाण प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित सर्वेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु

अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।

11. कार्यक्रम के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में

किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्चर्य हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के

मुख्य अभियंता-2 (गया)
13.11.25